जिला – उज्जैन

वर्ष 2016–17 के लिये

फसलों के ऋणमान

हेतु निर्धारित

ऋणनीति

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन

क्रमांक/सी.एस./2015–16/3088 उज्जैन, दिनांक 11.01.2016

1. शाखा प्रबंधक/पर्यवेक्षक
   शाखा समस्त

2. समिति प्रबंधक
   प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था मर्यादित
   समस्त

विषय :– ऋण नीति वर्ष 2016–17 .

वर्ष 2016–17 के लिये फसल ऋणमान निर्धारित करने हेतु जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 06.01.2016 को आयोजित की गई। बैठक में जिला उज्जैन के लिये विभिन्न फसलों के ऋणमान निर्धारित किये गये। यह ऋण नीति आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :– 3088

1. कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन।
2. महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल ।
3. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी समितियां, म.प्र. भोपाल।
4. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, उज्जैन ।
6. अग्रणी जिला प्रबंधक उज्जैन की ओर इस आशय के साथ कि कृपया अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नीति से अवगत कराने का कष्ट करें।
7. शाखा प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन ।
8. उपपंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन ।
9. उपसंचालक कृषि विभाग जिला उज्जैन ।
10. उपसंचालक उधानिकी, जिला उज्जैन ।
11. डी.डी.एम. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला उज्जैन।
12. अध्यक्ष इंदौर–उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन ।
13. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित उज्जैन।
14. समस्त क्षेत्राधिकारी प्रधानकार्यालय उज्जैन।

महाप्रबंधक

वर्ष 2016–17 के लिए बैंक की ऋणनीति

अल्पावधि एवं मध्यावधि कृषि ऋण अदायगी क्षमता का निर्धारण :–

क्र.	फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर उत्पादन (क्विंटल)	औसत विक्रयमूल्य (प्रतिक्विं.)	कुल उत्पादन मूल्य प्रति हेक्टेयर	कर्ज अदायगी क्षमता प्रति हेक्टेयर		
					अल्पावधि ऋण हेतु कुल उत्पादन मूल्य का 35 प्रति.	मध्यावधि ऋण हेतु कुल उत्पादन मूल्य का 15 प्रति.	कुल
		1	2	3	4	5	6
खरीफ फसल : –							
1	शकर ज्वार	35	1000	35000	12250	5250	17500
2	शंकर मक्का	38	1250	47500	16625	7125	23750
3	शंकर बाजरा	15	600	9000	3150	1350	4500
4	उड़द,मूंग,तुअर दलहन	12	3500	42000	14700	6300	21000
5	सोयाबीन (बीज) प्रोग्राम	22	5000	110000	41250	13750	55000
6	सोयाबीन	22	3200	70400	24640	10560	35200
7	कपास	20	4000	80000	28000	12000	40000
8	सूरजमुखी	10	1000	10000	3500	1500	5000
9	प्याज	300	600	180000	60000	30000	90000
10	फूल (गेंदा, गुलाब, बिजली, मोगरा, सेवंती, नवरंगा)	50	1000	50000	18000	7500	25500
रबी फसल : –							
1	गेहूँ सिंचित	45	1500	67500	23625	10125	33750
2	गेहूँ असिंचित	25	1500	37500	13125	5625	18750
3	चना सिंचित	18	4000	72000	25200	10800	36000
4	चना असिंचित	12	4000	48000	16800	7200	24000
5	चना काबुली	15	6000	90000	31500	13500	45000
6	गन्ना	1250	80	100000	35000	15000	50000
7	लहसुन	105	2500	262500	60000	39000	99500
8	आलू	250	700	175000	60000	26250	86250
9	गेंहु बीज प्रोग्राम	45	3860	173700	60795	26055	86850
10	चना बीज प्रोग्राम	18	4600	82800	28980	12420	41400
11	प्याज	300	600	180000	60000	30000	90000
12	सरसों सिंचित	20	3000	60000	20000	9000	29000
13	साग सब्जी	50	1500	75000	25000	11000	36000
14	फूल (गेंदा, गुलाब, बिजली, मोगरा, सेवंती, नवरंगा)	50	1000	50000	18000	7500	25500
15	सूरजमुखी	10	1000	10000	3500	1500	5000

....2

2016–17 के लिये स्वीकृत ऋणमान

क्र.	फसल का नाम	नगद	वस्तु	कुल
1	2	3	4	5
	खरीफ :–	**75%**	**25%**	
1	शंकर ज्वार	7500	2500	10000
2	शकर मक्का	7500	2500	10000
3	शंकर बाजरा	2250	750	3000
4	उड़द / मूंग / तुवर	10500	3500	14000
5	सोयाबीन (बीज)	22500	7500	30000
6	सोयाबीन	16500	5500	22000
7	कपास	21000	7000	28000
8	सूरजमुखी	2625	875	3500
9	प्याज	45000	15000	60000
10	फूल (गेंदा, गुलाब, बिजली, मोगरा, सेवंती, नवरंगा)	13500	4500	18000

रबी :–

1	गेहूं सिंचित	16500	5500	22000
2	चना सिंचित	11250	3750	15000
3	चना असिंचित	7500	2500	10000
4	चना काबूली	15750	5250	21000
5	गन्ना	26250	8750	35000
6	लहसुन	45000	15000	60000
7	आलू	45000	15000	60000
8	गेंहु बीज	30000	10000	40000
9	चना बीज	15000	5000	20000
10	प्याज	45000	15000	60000
11	सरसों सिंचित	15000	5000	20000
12	साग सब्जी	18750	6250	25000
13	फूल (गेंदा, गुलाब, बिजली, मोगरा, सेवंती, नवरंगा)	13500	45000	18000
14	सूरजमुखी	2625	875	3500

....3

उन्नत साग–सब्जी :– स्वीकृत ऋण मान

1	2	3	4	5
1	शंकर टमाटर	16550	16550	33100
2	शंकर षिमला मिर्च	16900	16900	33800
3	शंकर भिण्डी	10050	10050	20100
4	शंकर बेगन	8500	8500	17000
5	शंकर पत्तागोभी / फूलगोभी	7500	7500	15000
6	शंकर मटर	6000	6000	12000

स्वीकृत ऋण मान

दवाईयां :–

1	जपानी मेंथलिक बीज	39800
2	सफेद मूसली	407000
3	लेमन ग्रास	55000
4	अष्वगंधा	15800
5	ईसबगोल	4400
6	वेनेला	595100
7	पचोला	63800
8	स्टीविया	314600

स्वीकृत ऋण मान

फलोद्यान :–

1	आम	पांच वर्ष	42400
2	चीकू	पांच वर्ष	42400
3	संतरा	पांच वर्ष	60400
4	मौंसबी	पांच वर्ष	60400
5	नींबू	पांच वर्ष	60400
6	बेर	पांच वर्ष	60400
7	अमरूद	पांच वर्ष	8500
8	आंवला	पांच वर्ष	40900
9	अंगूर	दो वर्ष	211900
10	पपीता	पांच वर्ष	33100

फलोद्योन एवं दवाई के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाई गई नीति के वर्णित प्रावधानो के अंतर्गत ऋण राषि वस्तु एवं नगद में प्रदाय की जायेगी। फूलो की खेती के लिए ऋण उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत योजना एवं ऋणमान द्वारा ही दिया जाएगा। फलोद्यान तथा उन्नत साग सब्जी के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के प्रस्ताव उद्यानिकी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर ही ऋणमान स्वीकृत किये जायेगे।

सोयाबीन, गेंहु,चना बीज उत्पादन के लिए ऋण उन्ही कृषक सदस्यो को दिया जावेगा जो शासन द्वारा अधिकृत संस्था, बीज निगम, बीज उत्पादक सहकारी समितियो एवं कृभको से सोयाबीन, गेंहु, चना बीज प्राप्त करेंगें।

....4

कृषक सदस्यो को स्वीकृत अधिकतम नगद एवं वस्तु ऋण सीमा

किसान क्रेडिट कार्डधारी सदस्यो की अधिकतम ऋण सीमा दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 3.00 लाख (अक्षरी तीन लाख केवल) निर्धारित की गई है। ऐसे कृषक जो लगातार 5 वर्षो से अल्पकालीन ऋण की राशि बगैर डिफाल्टर हुए ड्युडेट तक जमा कर रहे है, उन्हें अधिकतम रू. 3.00 लाख जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर तथा रू. 2.00 लाख अतिरिक्त ऋण बैंक ब्याज दर 12 प्रतिशत पर केवल गेहूं एवं सोयाबीन फसलों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा ड्युडेट पर जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा। अतिरिक्त साख सीमा का लाभ लेने वाले कृषक सदस्यों के लिये संबंधित शाखा के पर्यवेक्षक से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा, तभी अतिरिक्त साख सीमा उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे कृषक जो लगातार 3 वर्षो से अल्पकालीन ऋण की राशि बगैर डिफाल्टर हुए ड्युडेट तक जमा कर रहे है, उन्हे अधिकतम रू. 2.50 लाख तक अल्पकालीन कृषि ऋण सीमा की पात्रता होगी।

नगद तथा वस्तु ऋण का अनुपात क्रमषः 75:25 होगा।

क्रमांक	ऋण	अधिकतम सीमा रूपये
1	नगद ऋण–पात्रतानुसार कुल ऋणसीमा का 75 प्रतिशत	225000.00
2	वस्तु ऋण–पात्रतानुसार कुल ऋणसीमा का 25 प्रतिशत	75000.00
3	**कुल ऋण**	**300000.00**

अतिरिक्त साख सीमा का भी 75 प्रतिशत नगद के रूप में एवं 25 प्रतिशत वस्तु के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

वस्तु ऋण में रासायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयां, उन्नत बीज, क्लचर, पी.एस.बी., एवं एक्जेटो बैक्ट्रीया आदि दिया जावेगा।

पंजीयक के पत्र कमांक साख / 2002 / 1763 दिनांक 06.06.2002 के अनुसार वस्तु ऋण की पात्रता का 10 प्रतिशत अथवा रू. 2000 / – इनमें से जो भी कम राशि हो, को कृषक सदस्य यंदि चाहते है तो कीटनाशक औषधि कय करने हेतु नगद उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु अधिकृत विकेता का बिल प्रस्तुत करना होगा।

....5

अल्पावधि ऋण वितरण करने की समयावधि :–

क्रमांक	फसल का नाम	ऋण वितरण की अवधि
1	खरीफ	1 अप्रैल से 30 सितम्बर
2	रबी	1 अक्टूबंर से 31 मार्च
3	गन्ने	1 अक्टूबंर से 31 मार्च
4	आलू	1 अक्टूबंर से 31 मार्च
5	फलोघान	1 जून से 31 दिसम्बर

अल्पावधि ऋण अदायगी तिथि का निर्धारण :–

क्रमांक	फसल	सदस्य द्वारा संस्था को	संस्था द्वारा बैंक को
1	खरीफ फसल	28 मार्च	31 मार्च
2	रबी फसल	15 जून	जून का अंतिम शुक्रवार

इस संबंध में संस्था द्वारा ऋण वितरण के समय ही सदस्यों को ऋण अदायगी के उत्तरदायित्व से अवगत कराया जाना चाहिये।

अदायगी की तिथि अधिक समय की इस कारण से निर्धारित की गई है कि अच्छे भाव की प्रतीक्षा में अथवा परिस्थितिवश उपज के विक्रय में विलंब के कारण सदस्य को दण्ड ब्याज की हानि नही होवे।

....6

मध्यम अवधि ऋण सीमा :–

मध्यमअवधि ऋणों की उद्‌देश्यवार अधिकतम ऋण सीमा एवं अवधि निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है।

कमांक	उद्‌देश्य	न्यूनतम सिंचित क्षैत्र	अधिकतम ऋणसीमा	अधिकतम ऋण राशि	ऋण अदा करने की अवधि
1	विघुत पंप 3 हा.पा.	2.5एकड	कोटेशन की कुल राशि का 85%	12,000	5 वर्ष
2	विघुत पंप 5 हा.पा.	2.5 एकड़	" "	15,000	5 वर्ष
3	विघुत पंप 7 हा.पा.	5 एकड़	" "	25,000	5 वर्ष
4	सबमर्सिबल पंप 5 हा. पा. तथा अन्य सहायक साम्रगी	2.5 एकड़	" "	33,000	5 वर्ष
5	जनरेटर(डीजल	5 एकड	" "	35,000	5 वर्ष
6	ट्रेक्टर थ्रेशर 10हार्सपावर एवं अधिक	8 एकड़	" "	1,20,000	5 वर्ष
7	थ्रेशर	2.5 एकड़	" "	25,000	5 वर्ष
8	पीवीसी पाईप लाईन	2.5 एकड़	" "	25,000	5 वर्ष
9	वाहन ऋण (ग्रामीण क्षैत्र में सब्जी तथा दूध विकेता को(दो पहिया वाहन)	2–5एकड	कुल कोटेशन राशि का 75 प्रतिशत	40,000 कोटेशन के आधार पर	5 वर्ष
10	ट्युबवेल रिचार्ज	...	...	5,000	3 वर्ष
11	कुंओ की रिचार्जिंग	...	...	5,000	3 वर्ष
12	कुंओ की बोरिंग	...	...	5,000	3 वर्ष
13	खेतो में पानी रोकने हेतु डबरी निर्माण	...	...	3,000	3 वर्ष
14	कच्चे बांध/स्टाप डेम निर्माण (सामूहिक रूप से प्रति कृषकअधिकतम रू. 1000/– की दर से) (5 कृषको तक के कृषक समूह के लिए)	...	...	5,000	1 वर्ष
15	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत खेत बंधान योजना			30,000	3 वर्ष

क.	उद्देश्य	न्यूनतम सिंचित क्षैत्र	अधिकतम ऋण राशि	ऋण अदा करने की अवधि
स्प्रिकंलर सेट पंप रहित हेतु				
	अ– एच.डी.पी.ई.			
1	2.50 एकड मॉडल	0.5 हेक्टर भूमि धारित कृषक	13000/– तक	पांच वर्ष
2	5.00 एकड़ मॉडल	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	18200/– तक	पांच वर्ष
3	7.50 एकड़ मॉडल	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	22800/– तक	पांच वर्ष
4	10. एकड़ मॉडल	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	26400/– तक	पांच वर्ष
	ब– एल्यूमिनियम :–			
1	2.50 एकड मॉडल	0.5 हेक्टर भूमि धारित कृषक	23000/– तक	पांच वर्ष
2	5.00 एकड़ मॉडल	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	32200/– तक	पांच वर्ष
3	7.50 एकड़ मॉडल	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	40300/– तक	पांच वर्ष
4	10. एकड़ मॉडल (ऋण वितरण अवधि अक्टोबर से जून तक)	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	60000/– तक	पांच वर्ष
5	रेन गन	1.0 हेक्टर भूमि धारित कृषक	8000/– तक	पांच वर्ष
6	ड्रीप सेट	1 हेक्टेयर भूमि	47,000/–	पांच वर्ष

....8

➢ मध्यावधि ऋण अदायगी की तिथियां :–

मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण वितरण तिथि	सदस्य द्वारा संस्था को	संस्था द्वारा बैंक को
• 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक वितरण	28 मार्च	31 मार्च
• 1 अक्टूबंर से 31 मार्च में वितरण	15 जून	जून का अंतिम शुक्रवार

➢ मध्यावधि ऋण हेतु आवश्यक शर्ते :–

(1) कृषि यंत्र, आई.एस.आई. मार्क एवं विक्रय विभाग में पंजीकृत व्यापारी के कोटेशन पर ही स्वीकृत किया जाएगा।

(2) कृषि यंत्रो का बीमा करवाना आवश्यक है।

(3) कृषि एवं विघुत यंत्र के लिए ऋण देने के प्रकरणों में कोटेशन राशि का 15 प्रतिशत एवं वाहन ऋण के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन–मनी आवेदक का सेविंग खाता खोलकर अनिवार्यतः जमा कराई जावेगी।

(4) भूमि की भारमुक्तता का 13 वर्ष का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) थ्रेशर, सबमर्शिबल पम्प के प्रकरणों में बिजली कनेक्शन का सहमति पत्र आवश्यक होगा।

(6) ट्रेक्टर थ्रेशर केवल उन्ही सदस्यो को दिया जायेगा जिनके पास स्वयं का ट्रेक्टर हो। ट्रेक्टर के साथ थ्रेशर का ऋण लेने पर न्यूनतम सिचिंत रकबा 13 एकड़ होना अनिवार्य है।

(7) जिन सदस्यो ने अन्य बैंको से ट्रेक्टर ऋण लिया है तथा ऋण अवशेष है, उन्हे इस बैंक से ट्रेक्टर थ्रेशर ऋण नही दिया जाएगा।

(8) नवीन ट्रेक्टर के साथ थ्रेशर हेतु ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यो को छोड़कर शेष सदस्यो को ऋण आवेदन के साथ ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, बीमा की छाया प्रति संलग्न करना होगी।

ऋणों के अनुपात में अंशपूंजी का निर्धारण

अल्पकालीन ऋण के लिए सहकारी समितियों के सदस्यो के ऋण के अनुपात में अंश क्रय करना होगा। लघु एवं सीमांत कृषक के लिए ऋण प्रदाय के समय 4 प्रतिशत की दर से एक मुश्त तथा बड़े कृषको के लिए एक मुश्त 8 प्रतिशत की दर से अंश क्रय करना अनिवार्य होगा।

➢ वेयर हाउस की रसीदो के तारण पर ऋण :–

बैंक द्वारा कृषि साख सहकारी संस्थाओं को अपने सदस्यो के द्वारा वेयर हाउस में रखी गयी फसल की वेयर हाउस की रसीद के तारण पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके लिए आवश्यक है कि वेयर हाउस की रसीद नियमानुसार वेयर हाउस में लिएन नोट कराई गई हो।

➢ वेयर हाउस की रसीद पर व्यक्तिगत सदस्यो को ऋण :–

जो सदस्य अपनी कृषि उपज को वेयर हाउस में रखकर उस पर ऋण प्राप्त करना चाहतो हो,उसे निम्न शर्तों के अंतर्गत वेयर हाउस की रसीद पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा:–

(1) वेयर हाउस की रसीद को वेयर हाउस अधिकारी से बैंक के पक्ष में प्रभार अंकित कराकर देना होगी।

(2) बैंक का नाम मात्र का सदस्य निर्धारित शुल्क तथा आवेदन पत्र देकर बनना होगा।

(3) एक सदस्य को अधिकतम रू. 2,00,000/– तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(4) वेयर हाउस की रसीद में दी गई मियाद समाप्ति की तिथि के पूर्व लिये गये ऋण राशि मय ब्याज के जमा कराना होगी।

(5) इस ऋण पर ब्याज दर तथा मार्जिन मनी समय–समय पर संचालक मण्डल अथवा पंजीयक/ म.प्र. राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त निर्देश अनुसार निर्धारित की जावेगी।

(6) मियाद समाप्ति के पश्चात बैंक के पक्ष में विक्रय अधिकार देना होगा।

....10

- **व्यापारिक केश केडिट :–**

छोटे व्यापारियो को रू. 25000/– तक की केश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की जा सकती है।

- **कोलेटरल ऋण**

व्यापारियो को कोलेटरल ऋण के अंतर्गत अधिकतम रू. 25 लाख तक ऋण सुविधा का लाभ दिया जाना स्वीकृत किया जाता है।

कोलेटरल ऋण के विरूद्ध वित्त प्रदाय की योजना हेतु मापदण्ड

1). योजना अंतर्गत निजी व्यापारियो को व्यापार व्यवसाय हेतु मुखबंधक अथवा तारण साख सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। व्यक्तिगत व्यापारी, प्रोप्रायटरी एवं साझेदारी दोनो प्रकार की संस्थाए ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

2). वे ही व्यापारी ऋण प्राप्त कर सकेगे जिनका प्रतिष्ठान शॉप एण्ड स्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत पंजीकृत है। तथा जो इंकम टेक्स,सेल्स टेक्स देते है।

3). योजनान्तर्गत ऋण की पात्रता छोटे एवं मझले व्यापारियो को प्राप्त होगी जिसमें स्वीकृत ऋण के कम से कम तीन गुना वार्षिक व्यवहार की अनिवार्यता होगी।

4). कोलेटरल ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख होगी। अपेक्स बैंक के पत्र कमांक एमपी/एचओ/21/एनएसी/2599/दिनांक 23.05.2000 के द्वारा व्यापारियो के लिये कोलेटरल सिक्युरिटी ऋण की अधिकतम सीमा में सशोंधन कर रूपये 10 लाख से रूपये 25 लाख की गई है। जिसकी स्वीकृति जिला बैंक के संचालक मण्डल के संकल्प कमांक 18 दिनांक 31.03.2001 द्वारा की गई है।

5). विभिन्न वस्तुओ के लिये निर्धारित मार्जिन रखना आवश्यक होगा। मुखबंधक साख सीमा हेतु न्युनतम मार्जिन 50 प्रतिशत एवं तारण ऋण हेतु न्युनतम 30 प्रतिशत मार्जिन निर्धारित किया जाता है। इस हेतु माल का स्टाक पत्रक संलग्न करना होगा।

6). हितग्राही को ऋण राशि के दुगने मूल्य की एक/दो अचल सम्पत्ति धारियो की जमानत प्रस्तुत करना होगी। जिसके तहत अचल सम्पत्ति, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैक मियादी जमा रसीद आदि बंधक की जा सकेगी। ऋणी एवं जमानतदारो की सम्पत्ति के असल कागजात ही मान्य होगे।

7). हितग्राही को अपने व्यापार व्यवसाय का समस्त व्यवहार इस बैंक के माध्यम से ही करना होगा।

8). हितग्राही को बैंक की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करना होगी।

9). ऋण की ब्याज दर समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं इस बैंक द्वारा किये गये निर्धारण अनुसार होगी। ऋण लेने के पूर्व ऋणी को निर्धारित अनुबंध प्रनोट एवं अन्य दस्तावेज भरकर देना होगे।

10). इस ऋण की स्वीकृति का अधिकार बैक की ऋण उप समिति/संचालक मण्डल को होगा।

11). हितग्राही को अपने व्यापार के संबंध में खरीदी/विकय एवं मासांत पर स्टाक शेष की जानकारी बैंक के निर्धारित प्रारूप में बैंक को प्रस्तुत करना होगी।

....11

12). हितग्राही को आवेदन के साथ पिछले तीन वर्षो का व्यापारिक पत्रक तथा इंकम टेक्स/सेल टेक्स चुकाने की रसीद प्रस्तुत करना होगी। नये व्यवसाय की स्थिति में तीन वर्षो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।

13). उक्त नियमो के अंतर्गत ऋण स्वीकृति का अधिकार पूर्णतः बैंक प्रबंधन का होगा।

➢ **ग्रामीण आवास ऋण :–**

ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास ऋण हेतु दीर्घावधि ऋण (9 वर्षीय) के लिये अधिकतम राशि रू. 3.00 लाख स्वीकृत की जाती है।

टीप :–

(क) आवेदक के आधिपत्य में गृह निर्माण के लिए उसके स्वामित्व में आवश्यक भूखण्ड हो बैंक के समाधान हेतु भूखण्ड आधिपत्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) विहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे के आधार पर बनाये गये ऐस्टीमेट की कुल राशि का 75 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

(ग) आवास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 3 किश्तों में वितरित की जावेगी। प्रथम किश्त निर्धारित करने के पश्चात शेष किश्ते तब निर्गमित की जावेगी जबकि निर्गमित किश्त की धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया हो।

(घ) भवन निर्माण की प्रथम किश्त भुगतान की तिथि से एक माह के अंदर भवन निर्माण कार्य शुरू करना होगा। पर्याप्त कारणों के आधार पर बैंक इसमें अधिकतम 3 माह अवधि की वृद्वि कर सकेगा। यदि उक्त अवधि के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया जाता है तो बैंक दण्ड ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि एक मुश्त बैंक में वापस करना होगा।

(च) ऋण पर बैंक द्वारा 13 प्रतिशत के हिसाब से कटमिति प्रणाली द्वारा ब्याज वसूल किया जावेगा।

(छ) इन नियमों के तहत प्राप्त ऋण से निर्मित आवास गृह निर्माण बैंक के पूर्ण समाधान अनुसार ऋण की अदायगी तक बैंक के हित में बंधक रहेगा। इस हेतु ऋण ग्रहिता को आवश्यक दस्तावेज स्वत्वाधिकार पत्र बंधक विलेख आदि करवाकर प्रस्तुत करना होगा। आवास गृह को बिना बैंक की पूर्व अनुमति विधि हस्तान्तरण अथवा बंधक नही कर सकेगा। इसका प्रबंधन होने पर ऋणी से ऋण की शेष राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूल की जावेगी।

➢ ट्रेक्टर हेतु दीर्घावधि ऋण :–

बैंक द्वारा कृषक सदस्यो को कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर युनिट ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

(1) ट्रेक्टर युनिट ऋण 9 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ऋण हेतु वे सदस्य पात्र होगें जिनके पास न्यूनतम 8 एकड़ सिंचित भूमि हो। अथवा न्यूनतम 16 एकड़ असिंचित भूमि हो। ट्रेक्टर युनिट मे ट्रेक्टर, ट्राली एवं कृषि उपकरण सम्मिलित रहेंगे।

(2) प्रस्तुत कोटेशन का 85 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाएगी। कोटेशन ट्रेक्टर कम्पनी की अधिकृत मूल्य सूची पर ही आधारित होना चाहिये।

(3) सदस्य को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी,10 प्रतिशत अंशपूंजी तथा 1 प्रतिशत सेवाशुल्क आवेदन करते समय बैंक शाखा में सेविंग खाता खोलकर जमा कराना आवश्यक है।

(4) ट्रेक्टर ऋण चुकाने की क्षमता नीति अंतर्गत निकाली जावेगी।

(5) भूमि की भारमुक्तता का 13 वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) भू–पुस्तिका में अन्य बैंको के ऋण का खुलासा होना आवश्यक है।

(7) एक प्रतिशत सेवा शुल्क जमा करना होगा।

(8) ट्रेक्टर पर "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा.....के सौजन्य से" अंकित कराया जावे।

(9) ऋण प्रदाय के समय ट्रेक्टर की एक चाबी शाखा की अभिरक्षा में रखी जावे।

(10) ट्रेक्टर ऋण में शाखा प्रबंधक एक माह में भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र,बीमा पालिसी व रजिस्ट्रेशन की एक प्रति मुख्यालय को अनिवार्यतः भेजेगे। तथा वाहन की मूल रजिस्ट्रेशन बुक शाखा कार्यालय में बंधक रखी जावेगी। जमानतदार का भी प्रमाणीकृत फोटो संलग्न करें।

(11) मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में राज्य व केन्द्र शासन के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कर प्रस्तावित किया जाता है तो वह देय होगा।

➢ शासकीय योजनांतर्गत निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु ऋण :–

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि कार्यों में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु योजनांतर्गत निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु कृषि यंत्री इंदौर–उज्जैन संभाग इंदौर के द्वारा स्वीकृति आदेश के माध्यम से बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन पर कृषि यंत्री द्वारा वर्णित प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऋण राशि प्रदाय की जावेगी।

1). ऋण राशि की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सदस्य द्वारा जमा कराई जावेगी।

2). ऋण की अवधि 9 वर्ष होगी।

3). ब्याज ऋण वितरण के आगामी माह से देय होगा।

4). ब्याज दर एवं स्वीकृत ऋण की शर्तों का पालन स्वीकृति आदेश के माध्यम से हितग्राही को करना होगा।

....13

➢ व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन) :–

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियेां हेतु अपनी व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन) की सुविधा उपलब्ध है।

1). व्यक्तिगत ऋण वेतन का 10 गुना तक अधिकतम ऋण सीमा 2.00 लाख एवं न्यूनतम रू. 50,000/– तक होगी। बैंक की शाखाओं के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रधान कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृति पश्चात ऋण का वितरण शाखाओं के माध्यम से होगा।

2). उक्त ऋण 3 वर्ष (36 मासिक किश्त) में अदा किया जावेगा।

3). उक्त ऋण की ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित दर पर देय होगी।

4). प्रतिभूति में इस ऋण योजनांतर्गत कर्मचारी/अधिकारी को अपने विभाग प्रमुख का बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में वेतन से कटौत्रा कर राशि भेजने बाबत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अन्य नाम मात्र प्रतिभूति भी प्रस्तुत कना होगी।

5). बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पत्र में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6). ऋणी द्वारा वेतन आहरण बैंक खाते की पिछली छह माह के लेखे–जोखे (ट्रांजेक्शन) की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।

(महाप्रबंधक)